झारखण्ड सरकार

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

पत्रांक :– रा0खा0आ0 (शिकायत) 10/2022 - 771

प्रेषक,

संजय कुमार
सदस्य सचिव,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

सेवा में,

सचिव
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग,
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांकः– 28.09.2022

विषयः– **गढ़वा जिलान्तर्गत कांडी प्रखण्ड के जयनगरा गांव के कार्डधारियों को मृत बताकर राशन कार्ड रद्द कर दिये जाने के संबंध में।**

प्रसंगः– आयोग का पत्रांक–713 दिनांक–05.09.2022

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि श्री सोनु सिंह, ग्राम–सहिजना रोड, पो0+जिला–गढ़वा का आवेदन आयोग को प्राप्त हुआ है। प्राप्त आवेदन में गढ़वा जिलान्तर्गत कांडी प्रखण्ड के खरौंधा पंचायत के जयनगरा गांव के राशन कार्डधारियों को मृत बताकर राशन कार्ड रद्द कर दिये जाने का उल्लेख है। साथ ही उक्त मामले से संबंधित दैनिक समाचार पत्र "दैनिक भास्कर" में दिनांक–23.08.2022 को प्रकाशित समाचार के कतरन की प्रति एवं ग्रामिणों द्वारा समर्पित आवेदन की प्रति उपलब्ध कराई गई है।

अतः उपरोक्त प्राप्त आवेदन की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जा रही है।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन

28/9/22

(संजय कुमार)
सदस्य सचिव,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

C:\Users\Anju\Dropbox\Anju\Vinod Sir.docx277

पता–झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड के पुराने भवन का द्वितीय तल, हरमू हाउसिंग कॉलोनी, राँची–834002
email-jharfoodcommission@gmail.com, Ph. No:-06512252267/2252261

1002 Dcue 24/08/22. put up 25/8

Gmail

food commission <jharfoodcommission@gmail.com>

पत्रांक 2022-243/ दिनांक 24.08.2022

1 message

Sonu singh (Social Worker) Sahijana-Garhwa-Jharkhand-Fights Against Corruption <sonusinghsocialworkergarhwa@gmail.com>
To: jharfoodcommission@gmail.com, mail@jharkhandsfc.in
Cc: cs-jharkhand@nic.in, food.secy@gmail.com, commissioner-paldiv@jharkhandmail.gov.in, dc-gar@nic.in

Wed, Aug 24, 2022 at 5:14 AM

आग्रह है कि कृपया इस ईमेल के साथ संलग्न पत्र के आलोक में उचित कार्रवाई करते हुए कृत कार्रवाई से मुझे भी अवगत कराने का कष्ट करें.
सादर समर्पित.
भवदीय,
सोनू सिंह (सामाजिक कार्यकर्ता)
गढ़वा, झारखण्ड-822114
संपर्क सूत्र-09798716506
दिनांक-24.08.2022

LETTER NUMBER 2022-243 DATED 24.08.2022 WITH ATTACHMENTS.pdf
3035K

25/08/22

724
25.08.22

सोनू सिंह
(सामाजिक कार्यकर्त्ता)

वन्दे भारत माँ

पत्राचार का पता :–
ग्राम– सहिजना रोड्, नजदीक सहीजना मील,
पो० + जिला – गढ़वा,
झारखण्ड – 822114
दूरभाष संख्या : +91–9798716506
ई–मेल :
sonusinghsocialworkergarhwa@gmail.com

(67)

Ref : Sonu Singh(SW) /Social-Service/St- JH/ Dst-Ghw/PO-Ghw/8/2022- 243/

Locus- Garhwa
Date: 24-AUG-2022

(ई–मेल द्वारा)

सेवा में,

श्री हिमांशु शेखर चौधरी जी,
श्रीमान् अध्यक्ष,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

विषय : **विधिसम्मत कार्रवाई के संबंध में।**

प्रसंग : 1) स्थानीय समाचार दैनिक भाष्कर में दिनांक 23.08.2022 को प्रकाशित संवाद।
2) उपायुक्त, गढ़वा को समर्पित पीड़ितों का अभ्यावेदन दिनांक 22.08.2022

महाशय,

उपर्युक्त विषय एवं प्रसंग के अनुक्रम में निवेदन पूर्वक कहना है कि, जिला खाद्य आपूर्त्ति कार्यालय, गढ़वा एवं उससे संबंधित प्रखण्ड स्तरीय कर्मीयों के षड्यंत्र के कारण काण्डी प्रखण्ड के खरौन्धा पंचायत के जयनगरा ग्राम में निवास करनें वाले कई निर्धन व्यक्तियों को उनके जीवित रहते मृत घोषित कर, खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत उन्हें मिलनें वाले खाद्यान्न पर रोक लगा दी गई है। इसके पूर्व में इन सभी पीड़ित व्यक्तियों ने वर्ष–2015 तक राशन प्राप्त किया था, परन्तु वर्ष–2016 से उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। खाद्य आपूर्त्ति विभाग के इस कृत्य की जितनी भी भर्त्सना की जाए, वह अल्प है। यह कुकृत्य अक्षम्य हि न हीं अपितु एक घृणित अपराध भी है। निर्धन व्यक्तियों को इसप्रकार से जीवित रहते मृत दर्शाकर उन्हें खाद्यान्न के अभिलाभ से वंचित कर दिया जाना, भारतीय संविधान के अनुच्छेद–21 के अधीन प्रदत्त "भोजन के अधिकार" का घोर उल्लंघन है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **SUO MOTO WRIT PETITION(CIVIL) NO. 6 OF 2020** के वाद में यह अभिमत दिया है कि,–

> "17. The Right to Life as guaranteed by Article 21 of the Constitution gives right to every human being to live a life of dignity with access to at-least bare necessities of life. To provide food security to impoverished persons is the bounden duty of all States and Governments. The Parliament with object to provide food and nutritional security in human life cycle had enacted the National Food Security Act, 2013."

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **Paschim Bangal Khet Mazdoor Samity v State of W. Bengal (1996) 4 SCC 37** के वाद में यह निर्णय दिया है कि,–

> " In a welfare state of the primary duty of the Government is to secure the welfare of the people. Article 21 imposes an obligation on the State to safeguard the right to life of every person. Preservation of human life is thus of paramount importance. The State cannot avoid their constitutional

सोनू सिंह(सामाजिक कार्यकर्त्ता)गढ़वा
24.08.2022

(66)

obligations in that regard on account of financial constrains."

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **Chameli Singh v State of UP (1996) 2 SCC 549** के वाद में, यह निर्णय दिया है कि,–

" In any organised society, the right to live as a human being is not ensured by meeting only the animal needs of man. It is secured only when a man is assured of all facilities to develop himself and is freed from all those restrictions that inhibit his growth. All human rights are designed to achieve this object. The Right to Life guaranteed in any civilised society implies the **right to food,** water, shelter, education, medical care and a decent environment. These are basic human rights known to any civilised society. The civil, political, social and cultural rights enshrined in the Universal Declaration of Human Rights and Convention or under the Constitution of India cannot be exercised without these basic human rights."

भारतीय संविधान के अनुच्छेद–47 के अन्तर्गत यह प्रावधानित किया गया है कि,–

" **The State shall regard the raising of the level of nutrition and the standard of living of its people and the improvement of public health as among its primary duties** and, in particular, the State shall endeavour to bring about prohibition of the consumption except for medicinal purposes of intoxicating drinks and of drugs which are injurious to health."

United Nations' Committee on World Food Security के द्वारा Food Security को परिभाषित करते हुए यह कहा गया है कि,–

"all people, at all times, have physical, social, and economic access to sufficient, safe, and nutritious food that meets their food preferences and dietary needs for an active and healthy life."

स्पष्ट होता है कि, पात्र व्यक्तियों को जीवित रहते मृत घोषित कर खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अधीन मिलनें वाले लाभ से अभिवंचित किया जाना माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायादेशों की अवज्ञा करनें के साथ–साथ मानवाधिकारों पर भी कुठाराघात किए जानें के समान है। अस्तु आपसे अनुरोध करना है कि, इस अतिगंभीर प्रकरण की उच्चस्तरीय जाँच कराते हुए अभिवंचित व्यक्तियों को तत्क्षण खाद्यान्न का लाभ नियमित रूप से उपलभ्य करानें की कृपा करेंगे। साथ हीं, इसप्रकार के कुकृत्य में संलिप्त दोषियों को चिन्हित कर, उनके विरूद्ध विधिसम्मत दण्डनीय कार्रवाई करनें का कष्ट करेंगे। इस संदर्भ में कृत कार्रवाई की वस्तुस्थिती से अधोहस्ताक्षरी को भी अवगत कराया जाना प्राथर्नीय है।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए।

विश्वासभाजन,

अनुलग्नक–यथोपरि।

प्रतिलिपि– श्री सुखदेव सिंह जी, श्रीमान् मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, राँची/श्रीमती हिमानी पाण्डेय जी, श्रीमान् सचिव, खाद्य, लोक आपूर्त्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड, राँची/श्री जटाशंकर चौधरी जी, श्रीमान् आयुक्त, पलामू प्रमण्डल, मेदिनीनगर/रमेश घोलप जी, श्रीमान् उपायुक्त, गढ़वा की सेवा में आवश्यक कार्रवाई हेतु संप्रेषित। कृपया कृत कार्रवाई से अधोहस्ताक्षरी को भी सूचित किया जाए।

दैनिक भास्कर गढ़वा 23-08-2022

गढ़वा भास्कर

बंशीधरनगर • मेराल भवनाथपुर • रमना • कांडी dainikbhaskar.com

कांडी में डीलर, पंचायत और प्रखंड कार्यालय में दौड़ दौड़कर परेशान हो गए कार्डधारी लाभुक, पर नहीं मिला राशन

हम मरे नहीं जिंदा हैं साहेब ... 6 साल पहले मृत घोषित 80 लाभुकों ने डीसी से योजनाओं का लाभ देने की लगाई गुहार

प्रियरंजन विनोद | कांडी

न तो कोई महामारी आई, न तो भूकंप आया, न ही ज्वालामुखी फटा तो आखिर एक ही गांव के 80 लोग एक ही साथ कैसे मर गए। लाख टके का यह सवाल संबंधित पदाधिकारी व कर्मचारियों ने भी नहीं पूछा। और तमाम 80 की संख्या में तथाकथित मर चुके लाभुकों का राशन कार्ड निरस्त कर दिया गया। जिन परिवारों को छह वर्षों से सरकारी राशन नहीं मिल रहा है। यह संगीन मामला कांडी प्रखंड क्षेत्र के खरौंधा पंचायत अंतर्गत जयनगरा गांव का है। कागज में मार दिए गए सभी महिला व पुरुष कार्डधारियों ने सोमवार को डीसी से मिलकर न्याय की गुहार लगाई है। राशन कार्ड से वंचित कर दिए गए लोग इस लंबे कालखंड में डीलर से लेकर प्रखंड कार्यालय तक दौड़ते दौड़ते परेशान हो चुके हैं यह पता करने में कि आखिर उन्हें राशन क्यों नहीं मिल रहा। लेकिन उन्हें किसी ने यह भी नहीं बताया कि तुमलोग मर चुके हो। पंचायत चुनाव होने के बाद हाल में खाद्य आपूर्ति विभाग का पोर्टल खोलने के बाद पता चला कि ये सभी लोग मर चुके हैं। लिहाजा मृतकों का राशन कार्ड निरस्त कर दिया गया है। इसके बाद पूरे गांव में लोग एकबारगी स्तब्ध रह गए कि इतने लोगों को मृत बताया जा रहा था तो थोक में मृत्यु का कारण भी तो पता करना चाहिए था। इससे संबंधित आवेदन सौंप कर लोगों ने उपायुक्त से इसकी जांच कराए जाने की मांग की है कि वे जिंदा हैं कि मर गए। स्थानीय मुखिया परीखा पासवान, पंसस उर्मिला देवी व उप मुखिया रविरंजन ने भी लिखकर दिया है कि सभी लोग जीवति हैं।

डीसी से मिलने आई महिला लाभुक।

उपायुक्त से राशन कार्ड चालू करने की मांग

इनका राशन कार्ड चालू किया जाना जरूरी है। मेहनतकश किसान व कृषि मजदूर बहूल गांव जयनगरा के साथ पूरा प्रखंड भीषण अकाल की चपेट में आ चुका है। खेती बारी के दिन में वैसे भी घर अनाज से खाली हो जाता है। ऐसे में सरकारी जन वितरण प्रणाली ही गावों की लाइफलाइन है। लेकिन इस तरह के करुण मजाक के शिकार लोगों की व्यथा पर छह साल तक किसी ने ध्यान नहीं दिया। कई लोगों ने सवालिया लहजे में पूछा कि आखिर यह कैसा प्रजातंत्र है।

राशन से वंचित करने वालों पर कार्रवाई की मांग

छह साल की लंबी अवधि तक मृत घोषित तमाम लाभुकों को राशन से वंचित कर दिया गया। अब जांच के बाद उनके जीवित साबित हो जाने के बाद उनके हक का राशन उन्हें कौन देगा। जबकि राशन कार्ड के अभाव में लोगों का कई तरह का काम नहीं हुआ। राशन से वंचित करने वालों पर कार्रवाई की भी मांग की गई।

डीसी से जीवित साबित करने की इन्होंने लगाई फरियाद

जांच कराकर अपने को जीवित साबित करने की फरियाद करनेवालों में कुंती कुंवर, पार्वती देवी, जीरा देशी, सुषमा देवी, मालती देवी, जुगती देवी, आशा देवी, पूनम देवी, सुशीला देवी, तेतरी कुंवर, कलोला देवी, मीना देवी, कांति देवी, चिंता देवी, मंजू देवी, आरती देवी, भारती देवी, मंगरी देवी, प्रदीप मेहता, प्रवेश मेहता, सुदामा मेहता, महेंद्र राम सहित कई लोगों का नाम शामिल है। मौके पर मौजूद कांडी उत्तरी क्षेत्र से जिला परिषद सदस्य सुषमा कुमारी के प्रतिनिधि दिनेश कुमार व हिन्दू जागरण मंच के पुष्प रंजन ने भी लाभुकों के साथ डीसी से मिलकर इस गंभीर मामले की जांच कर राशन कार्ड चालू करने व दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है।

सेवा में,

श्री मान् उपायुक्त महोदय,
जिला - गढ़वा, झारखण्ड ।

विषय :- (बी० पी० एल० कार्डधारक को अनैतिक ढंग से मृत घोषित कर राशन कार्ड निरस्त करने के संबंध में आवेदन पत्र)

महाशय,

हम सभी कार्डधारक ग्राम पंचायत खरौंधा के निवासी हैं हम सभी बी० पी० एल कार्डधारक हैं हम सबों को वर्ष 2015 तक राशन मीलता था। परन्तु वर्ष 2016 के मध्य से ही हमारे कार्ड को निरस्त कर दिया गया तथा हम सभी कार्डधारक को जिला खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा मृत घोषित कर दिया गया है। परिणामस्वरूप हम सभी लाभुक आज तक सरकारी राशन लेने से वंचित हैं। हम सबों ने बहुत प्रयास किया परन्तु अपना राशन कार्ड चालु नहीं करा पाये। क्योंकि पदाधिकारियों के द्वारा हमारी बातों पर ध्यान नहीं दिया गया। बारी-बारी से जाने पर टालमटोल कर भगा दिया जाता है। यही कारण है कि आज हम सभी को समूह में आना पड़ रहा है।

अतः श्रीमान् से आग्रह है कि हमारे साथ हो रहे अन्याय पर ध्यान आकर्षित करते हुए इस अकाल की घड़ी में हमारी पारिवारिक स्थिति को देखते हुए तथा लाभुक मृत है या जीवित जाँच करते हुए इसपर शीघ्र कार्यवाही करते हुए हमारे साथ न्याय करने की कृपा की जाए।

(नोट:- आवेदन के साथ सूची उपलब्ध है तथा BPL का की प्रतिलिपि संलग्न है)

विश्वासभाजन
कार्डधारी (बी० पी० एल०)
ग्राम पंचायत खरौंधा
कांडी जिला - गढ़वा

कार्डधारियों का हस्ताक्षर

(1) राजेश्वर भुइंया

(2) [illegible]

(63)

(3) कांडपालकी का हस्ताक्षर
विमला देवी
(4) रीता देवी
(5) कलावतीदेवी
(6) नरेन्द्रदीप मेहता
(7) प्रकाश मेहता
(8) पार्वती देवी
(9)
(10) कलावती देवी
(11.)
(12.) कुंतीकुवर
(13.) लखुनीराम
(14)
(15) सुदामा मेहता
(16) पुनमदेवी
(17) मीनादेवी
(18.) निरमप्रिया कुवर
(19.) सुनैना देवि
(20.) मीनादेवी
(21) सुमेर मेहता
(22.) उषा देवी
(23.) Bimlam Ki

(24) गुप्तेश्वर नाथ मेहता
(25) राधेश्याम मेहता
(26) मंजू देवी
(27) चिन्तो देवी
(28.) आरती देवी
(29.) Shashi Bhushan Ku. Mehta.
(30) रामचन्द्र नाथ
(31) नगादेवराम
(32) पुरनी ठाकुर
(33.) रीना देवी
(34) सुमन्त मेहता

— कार्यालय —

मुखिया ग्राम पंचायत खरौंधा, कांडी
जिला - गढ़वा ।

पत्रांक:- 009.

दिनांक: 18/08/022

यह प्रमाणित किया जाता है कि सूची में नामांकित सभी बी० पी० एल० कार्ड धारक ग्राम पंचायत खरौंधा, कांडी जिला - गढ़वा के निवासी हैं तथा सूची मे नामांकित सभी कार्डधारी जिनका नाम खाद्य आपूर्ति विभाग गढ़वा के द्वारा मृत घोषित कर काट दिया गया है जाँच करने के पश्चात पाया गया की सभी कार्डधारी जीवित हैं जिनका राशन कार्ड चालु कराया जा सकता है।

उपमुखिया
विरजनकुमार
22/8/22
उप मुखिया
ग्राम पंचायत-खरौंधा
प्रखण्ड-कांडी

पंचायत समिति

मुखिया
ग्रामपंचायत खरौंधा ।
22.8.22

कार्डधारियों की सूची :—

	परिवार के मुखिया का नाम	राशन कार्ड सं०	कार्ड का प्रकार
			बी० पी० एल०
1.	कुन्ती कुंवर	20200004381 1	
2.	पानी देवी	20200004374 7	" " "
3.	मीरा देवी	20200004377 4	" " "
4.	सुषमा देवी	20200004382 3	" " "
5.	मालती देवी	20200004378 5	" " "
6.	कला देवी	20200004384 1	" " "
7.	सुगनी देवी	20200004377 0	" " "
8.	आशा देवी	20200004374 9	" " "
9.	पूनम देवी	20200004377 7	" " "
10.	सुशीला देवी	20200004376 6	" " "
11.	नंदी कुंवर	20200542558	" " "
12.	पावनी देवी	20200004380 9	" " "
13.	उर्मिला देवी	20200004377 2	" " "
14.	मीरा देवी	20200004374 3	" " "
15.	मीना देवी	20200004374 1	" " "
16.	नीतू सिंघा देवी	20200004380 7	" " "
17.	कांती देवी	20200004380 8	" " "
18.	मंजु देवी	20200004380 4	" " "
19.	आरती देवी	20200004372 7	" " "
20.	भारती देवी	20200004349 1	" " "
21	मंगरी देवी	20200004372 4	" " "

(60)

	बालमती देवी	20200043829	"	"	"
	मंजु देवी	20200043804			
24.	विमला देवी	20200043820	"	"	"
25.	सुनैना देवी	20200043825	"	"	"
26.	आनन्दा देवी	20200043828			
27	बिलमतीया देवी	20200043745	"	"	"
28	सोनमती देवी	20200043775	"	"	"
29.	मुलमुरली कुंवर	20200578694			
30.	नागदेव राम	20200579000	"	"	"
31.	लालु लाल	20200579319	"	"	"
32.	रामसुन्दर लाल	20200579112	"	"	"
33.	उदयती देवी	20200043497	"	"	"
34.	इन्दु देवी	20200043788	"	"	"
35.	उपुनती देवी	20200043773	"	"	"
36.	सुदामा महतो	20200043732	"	"	"
37.	मतंगा पासवान	20200043835	"	"	"
38.	सखुनी राम	20200579513			
39.	अभिमुखा महतो	20200043726	"	"	"
40.	नीना देवी	20200043742	"	"	"
41.	उषा देवी	20200043333	"	"	"
42.	रंजू देवी	20200043753	"	"	"
43.	मंजू देवी	20200043752	"	"	"
44.	अनिचती देवी	20200043813	"	"	"
45.	गुलाबी राम	4924/104	"	"	"

(57)

JSFSS Signin (http://jsfss.jharkhand.gov.in/users/login) PDS Signin (http://pds.jharkhand.gov.in/users/login) Single Window (https://advantage.jharkhand.gov.in/)

खाद्य, सार्वजानिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

E-AAHAR PATRIKA (/secc-cardholders/e-patrika)

Menu ≡

यह रासनकार्ड **जिला आपूर्ति कार्यालय** के द्वारा दिनांक **2016-07-26** को **Death** के कारण डिलीट कर दिया गया है।
कृपया जिला आपूर्ति कार्यालय GARHWA से संपर्क करे।

Page last updated on :Sunday, August 21, 2022 23:00:45
Site Owned and Maintained by Department of Food, Public Distribution & Consumer Affairs, Government of Jharkhand.
HELPLINE NUMBER :- 18003456598